राजस्थान सरकार

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी (जिला कलक्टर), बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई०ए०एस०

सूचना का अधिकार प्रार्थना पत्र 28/2024

अपीलांटः–	बनाम	रेस्पोडेंटः –
1. श्री विकास कोठारी पुत्र श्री जेठमल कोठारी, निवासी विमलनाथ कॉलोनी, वर्धमान स्कूल के पास बालोतरा, जिला बालोतरा।		1 अति. जिला कलक्टर, बालोतरा

आदेश

दिनांक 10.09.2024

अपीलार्थी श्री विकास कोठारी पुत्र श्री जेठमल कोठारी, निवासी विमलनाथ कॉलोनी, वर्धमान स्कूल के पास बालोतरा, जिला बालोतरा ने यह प्रथम अपील उतरदाता अति. जिला कलक्टर, बालोतरा के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 22.08.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलीर्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से संबंधित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर, बालोतरा को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथी को उपस्थित हुए जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थी स्वयं दौराने सुनवाई अनुपस्थित।

रेस्पोडेंट द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना तृतीय पक्षकार के निजी दस्तावेजो के संबंध में होने के कारण संबंधित तृतीय पक्ष श्रीमती सतभौमा पत्नी श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल को प्रस्तावित प्रकटन के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया गया(पत्रांक/आरटीआई/2024/73 दिनांक 09.04.2024)। इस संबंध में श्रीमती सतभौमा द्वारा प्राप्त पत्र में किसी भी व्यक्ति को उनसे संबंधित निजी दस्तावेजों की जानकारी देने से माना किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज फरमायी जावे।

हमने प्रस्तुत अपील एवं रेस्पोडेंट की ओर से जवाब का अवलोकन किया, जिसमें यह बताया कि कार्यालय अति जिला कलक्टर, बालोतरा के पत्रांक/आरटीआई/2024/127 दिनांक 07.06.2024 को जरिये डाक अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना तृतीय पक्षकार के निजी दस्तावेजों से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 व 9 के तहत सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है, को सूचित करना बताया गया। साथ ही कार्यालय जिला कलक्टर बालोतरा के पत्रांक/आर.टी. आई/2024 दिनांक 09.04.2024 को निजी सूचना अपीलार्थी को देने हेतु श्रीमती सतभौमा पत्नी श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल से सहमती चाही गई, लेकिन श्रीमती सतभौमा द्वारा दिनांक 30.04.2024 को प्राप्त पत्र में अपीलार्थी को निजी सूचना देने का मना करना बताया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना तृतीय पक्षकार के निजी दस्तावेजों से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 व 9 के तहत सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है। इसलिए अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 10.09.2024 को न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बालोतरा